एकल पीठ

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्र. 5042/ 2006

याचिकाकर्ता:

डॉ. के.डी. बांधे, आत्मज– श्री महत्तर बांधे, आयु लगभग– 55 वर्ष, निवासी– ग्राम– हरदी, पोस्ट– बोड़तरा, तहसील– लोरमी, जिला– बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादी:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर, जिला – बिलासपुर (छ.ग.)
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी, जिला – बिलासपुर (छ.ग.)
4. तहसीलदार, लोरमी, जिला – बिलासपुर (छ.ग.)
5. ग्राम पंचायत, हरदी, द्वारा सचिव, पोस्ट– बोड़तरा, तहसील– लोरमी, जिला– बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत परमादेश/उत्प्रेषण आदि की प्रकृति में उपयुक्त रिट या इसी प्रकृति में निर्देश/आदेश जारी करने हेतु रिट याचिका।

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 5042/ 2006

डॉ. के.डी. बांधे

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

श्री विनय पांडेय, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ।

श्री एन.के. अग्रवाल, राज्य/उत्तरवादियों के लिए उप महाधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौखिक आदेश (14 सितंबर, 2006)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

(1) याचिकाकर्ता, जो ग्राम पंचायत हरदी के निर्वाचित सरपंच थे, ने पंचायत विवाद (संदर्भ) संख्या 67/A–89(6)/2005–2006 में अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.6.2006 की वैधता, विधिमान्यता और औचित्य को चुनौती दी है। उक्त आदेश द्वारा, अतिरिक्त कलेक्टर ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उस संदर्भ याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें म.प्र. (छ.ग.) पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 21 की उप–धारा (1) के तहत पारित 'अविश्वास' प्रस्ताव की विधिमान्यता को चुनौती दी गई थी।

(2) संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता वर्ष 2004–2005 में हुए चुनावों में ग्राम पंचायत हरदी के निर्वाचित सरपंच थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पंचों द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध मध्य प्रदेश

पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उप–सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव) नियम 1994 (जिसे आगे 'नियम' कहा गया है) के नियम 3 के तहत अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी गई थी। नियम 3 के उप–नियम (1) के तहत ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, विहित प्राधिकारी ने धारा 21 (3) के संदर्भ में सूचना की स्वीकार्यता पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, उक्त प्रस्ताव के संबंध में बैठक की तिथि निर्धारित की। बैठक की तिथि 12.6.2006 निर्धारित की गई थी। रिट याचिका के प्रकथनों के अनुसार, उक्त प्रस्ताव पारित कर दिया गया, क्योंकि 13 मत प्रस्ताव के पक्ष में दिए गए, 2 मत प्रस्ताव के विरुद्ध दिए गए और 2 अन्य मत अवैध घोषित किए गए। याचिकाकर्ता ने उप–धारा (1) के तहत पारित इस प्रस्ताव की विधिमान्यता को कलेक्टर के पास विवाद संदर्भित करके चुनौती दी। विवाद की एक प्रति अनुलग्नक पी–5 के रूप में दाखिल की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) अनुलग्नक पी–5 के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा उक्त प्रस्ताव की विधिमान्यता को चुनौती देते हुए कई आधार उठाए गए थे। जब यह मामला अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो उन्होंने दिनांक 29.6.2006 को निम्न प्रकार से दो पंक्तियों का आदेश पारित कर उक्त विवाद को खारिज कर दिया:

> **"नियमानुसार हुए मतदान में सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारीत है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 13 मत तथा विपक्ष में 02 मत तथा 02 मत निरंक है । अर्थात अविश्वास प्रस्ताव पूर्ण रूपेण पारीत है ।"**

अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा उक्त विवाद में पारित इसी आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी गई है।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित आदेश एक गूढ़ आदेश है, जो विवाद में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

उनका तर्क है कि कलेक्टर द्वारा पारित उक्त तर्कहीन आदेश विधिसम्मत नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

(5) इसके विपरीत, विद्वान उप महाधिवक्ता ने पारित प्रस्ताव के गुणदोष पर बहस किया और आदेश के परिणाम का समर्थन किया। उनका तर्क है कि यद्यपि आदेश में कारण दर्ज नहीं किए गए हैं, लेकिन कलेक्टर द्वारा निकाला गया अंतिम परिणाम सही प्रतीत होता है, क्योंकि याचिकाकर्ता के विरुद्ध 13:2:2 मतों के बहुमत से प्रस्ताव सही ढंग से पारित किया गया था।

(6) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को विस्तार से सुना है और रिट याचिका के अभिलेख का भी अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) पंचायत राज अधिनियम की धारा 21 सरपंच और उप–सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के उपबंधों से संबंधित है। धारा 21 की उप धारा (1) उपबंध करती है कि उपस्थित और मतदान करने वाले पंचों के कम से कम तीन–चौथाई बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर, और यदि ऐसा बहुमत ग्राम पंचायत के तत्समय कुल पंचों की संख्या के दो–तिहाई से अधिक है, तो वह सरपंच या उप–सरपंच जिसके विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है, तत्काल प्रभाव से पद धारित नहीं करेगा। उक्त धारा की उप धारा (2) उपबंध करती है कि इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, सरपंच या उप–सरपंच उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा जिसमें उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जानी है। यह आगे उपबंध करता है कि ऐसी बैठक उस रीति से बुलाई जाएगी जैसा विहित किया जाए और उसकी अध्यक्षता सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे विहित प्राधिकारी नियुक्त करे। सरपंच या उप–सरपंच, जैसा भी मामला हो, को बैठक की कार्यवाही में बोलने या अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा। आगे उप–धारा (3) प्रावधान करती है कि

सरपंच या उप–सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित अवधि के भीतर नहीं लाया जाएगा –

(i) उस तिथि से एक वर्ष जब सरपंच या उप–सरपंच ने अपने संबंधित कार्यालय में प्रवेश किया हो; (ii) सरपंच या उप–सरपंच, यथास्थिति, के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि से छह महीने पहले;

(iii) उस तिथि से एक वर्ष जब पिछला अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था।

(8) इसके पश्चात, धारा 21 की उप–धारा (4) का प्रयोग किया गया और धारा 21 में उपरोक्त प्रावधानों के साथ विवाद के संदर्भ के संबंध में एक प्रावधान भी जोड़ा गया। विधायिका द्वारा धारा 21 की उप–धारा (4) में "विवाद" जैसे शब्द का प्रयोग और उक्त विवाद पर निर्णय की मांग करना स्वयं में यह उपधारणा बनाने के लिए पर्याप्त है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के संबंध में कलेक्टर के समक्ष कोई विवादास्पद बिंदु उठाया जाता है, तो कलेक्टर को मामले में सही कानून लागू करके इसका विनिश्चय करना होगा और उसे एक आदेश पारित करना होगा ताकि संबंधित पक्ष द्वारा उठाए गए विवाद का निपटारा किया जा सके। संविधि का एक और भाग जो महत्वपूर्ण है, वह यह है कि कलेक्टर द्वारा उसे संदर्भित विवाद पर लिया गया निर्णय अंतिम होगा। ऐसी अभिव्यक्ति यह और स्पष्ट करती है कि कलेक्टर के समक्ष जो विवाद उठाए जाते हैं, उनका निर्णय उसे सकारात्मक तरीके से करना होता है ताकि वे अंतिमता तक पहुँच सकें और उन्हें वर्तमान मामले के आदेश की तरह सतही आदेश पारित करके निपटाया नहीं जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) अधिनियम की धारा 21 (4) के दायरे की जांच करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने '**कांधीलाल पटेल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य' [1999 (2) JLJ 109]** के मामले में निर्धारित किया था कि अधिनियम की धारा 21 की उप–धारा (4) में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट रूप से विधायिका की मंशा को दर्शाती है। वह कभी भी विवाद को धारा 91 के तहत अपील के

समतुल्य नहीं मानना चाहती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका इस स्थिति से अवगत थी कि एक अपील में, अपीलीय मंच द्वारा तथ्यों निष्कर्षण करने वाली जांच नहीं की जा सकती है, और ऐसे मामले में जहां प्रस्ताव पारित किया जाता है, कभी–कभी तथ्यात्मक आरोप लगाए जा सकते हैं या तथ्यात्मक विवाद उठाए जा सकते हैं। 'विवाद' शब्द का सामान्य अर्थ में यह होगा कि आदेश से व्यथित व्यक्ति न केवल कानूनी पहलुओं पर, अपितु तथ्यात्मक पहलुओं पर भी उसकी शुद्धता, विधिमान्यता और औचित्य को चुनौती दे रहा है क्योंकि वह प्रस्ताव पारित करने वाले संकल्प से असंतुष्ट है। जब धारा 21 (4) के तहत कोई विवाद उठाया जाता है, तो अपील के रूप में उसका विनिश्चय नहीं किया जा सकता है। संकल्प से व्यथित पक्ष इसकी शुद्धता को विधिक आधारों के साथ–साथ तथ्यात्मक पहलुओं पर भी चुनौती दे सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) इसलिए, धारा 21(4) की भाषा से यह स्पष्ट है कि सरपंच या उप–सरपंच जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है, द्वारा संदर्भित विवाद में, उसके द्वारा प्रस्ताव की विधिमान्यता को चुनौती देते हुए उठाए गए प्रत्येक बिंदु का निर्णय कलेक्टर द्वारा किया जाना चाहिए ताकि आदेश अंतिमता प्राप्त कर सके क्योंकि अधिनियम या नियमों में कलेक्टर द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अन्य वैधानिक उपचार प्रदान नहीं किया गया है और यदि ऐसा आदेश बिना कोई कारण बताए सतही तरीके से पारित किया जाता है, तो विधिक दृष्टि में टिक नहीं सकता।

(11) इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि कलेक्टर, उस संदर्भित विवाद पर विचार करते समय, कारण दर्ज करेगा कि वह क्यों संतुष्ट है कि प्रस्ताव उचित रूप से पारित किया गया था या वह चुनौती अधीन प्रस्ताव के पारित होने से क्यों असंतुष्ट है। धारा 21(4) की भाषा यह दिखाने के लिए पर्याप्तः स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा हस्तक्षेप का दायरा न केवल विधिक प्रश्न तक निर्बंधित है जिस पर विवाद आधारित है, अपितु तथ्य के प्रश्न पर निर्णय का भी उपबंध करता है जो समान रूप से प्रस्ताव की विधिमान्यता को प्रभावित करता है।

(12) वर्तमान मामले में, आदेश से यह पता चलता है कि उक्त प्रस्ताव की संतुष्टि के बारे में कोई भी कारण नहीं बताया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए किसी भी आधार पर कलेक्टर द्वारा चर्चा नहीं की गई है और आदेश पारित कर दिया गया है। कारण, निर्णय लेने वाले के मस्तिष्क और प्रश्नगत विवाद तथा निकाले गए निष्कर्ष के बीच की जीवंत कड़ियाँ होते हैं। कारण बताने में विफलता न्याय से इनकार के समान है **{देखें अलेक्जेंडर मशीनरी डुडिव लिमिटेड बनाम क्रैब ट्री (1974 LCR 120)}**, जिसका संदर्भ **रीजनल मैनेजर, यूपीएसआरटीसी, इटावा और अन्य बनाम होती लाल और अन्य' (AIR 2003 SC 1462)** के मामले में दिए गए निर्णय की कण्डिका 10 में दिया गया है।

(13) चूंकि आक्षेपित आदेश कलेक्टर द्वारा बिना कोई कारण बताए पारित किया गया है, इसलिए यह अपास्त किए जाने योग्य है और तदनुसार अपास्त किया जाता है। मामला याचिकाकर्ता द्वारा उसे संदर्भित विवाद में उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर तर्कपूर्ण आदेश पारित करने के लिए कलेक्टर को प्रतिप्रेषित किया जाता है। चूंकि विधायिका द्वारा अधिनियम की धारा 21 की उप–धारा (4) में समय सीमा तय की गई है, इसलिए याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रति के साथ **25 सितंबर, 2006** को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक

प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur